



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

21 श्रावण 1935 (श0)
(सं0 पटना 640) पटना, सोमवार, 12 अगस्त 2013

बिहार विधान-सभा सचिवालय

अधिसूचना

30 जुलाई 2013

सं0 वि०स०वि०-19/2013-4983/वि०स०।—“बोधगया मंदिर (संशोधन) विधेयक, 2013”, जो बिहार विधान-सभा में दिनांक 30 जुलाई, 2013 को पुरःस्थापित हुआ था, बिहार विधान-सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-116 के अन्तर्गत उद्देश्य और हेतु सहित प्रकाशित किया जाता है ।

फूल झा,

प्रभारी सचिव

बिहार विधान-सभा ।

बोधगया मंदिर (संशोधन) विधेयक 2013

[वि०स०वि०-14/2013]

बोधगया मंदिर अधिनियम, 1949 में संशोधन करने के लिए विधेयक।

प्रस्तावना 1- चूँकि, धर्म निरपेक्ष राज्य भारत के संविधान का प्रतीक है और धर्म निरपेक्षवाद संविधान की मौलिक विशेषता है और बोधगया मंदिर अधिनियम, 1949 की धारा-3 की उप-धारा (3) के परन्तुक का प्रावधान धर्मनिरपेक्षवाद पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला है, इसलिए उक्त परन्तुक को विलोपित करना आवश्यक एवं समीचीन है।

भारत-गणराज्य के चौसठवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

1. **संक्षिप्त नाम एवं प्रारंभ** 1- (1) यह अधिनियम बोधगया मंदिर (संशोधन) अधिनियम, 2013 कहा जा सकेगा।
(2) यह तुरंत प्रवृत्त होगा।
2. **बिहार अधिनियम 17, 1949 की धारा-3 का संशोधन** 1- उक्त अधिनियम की धारा-3 की उप-धारा (3) का परन्तुक विलोपित किया जायगा।

उद्देश्य एवं हेतु

बोधगया मंदिर अधिनियम, 1949 के प्रावधानों के अनुसार बोधगया मंदिर की बेहतर देख-भाल हेतु बोधगया मंदिर प्रबंधन समिति का गठन किया गया है। बिहार अधिनियम-17, 1949 की धारा-3 की उप-धारा (3) के प्रावधान के अनुसार जिला पदाधिकारी, गया बोधगया मंदिर प्रबंधन समिति के पदेन अध्यक्ष होते हैं परन्तु किसी अवधि में जिला पदाधिकारी, गया के गैर हिंदू होने की अवधि में (राज्य) सरकार समिति के अध्यक्ष के रूप में किसी हिंदू को मनोनीत करेगी।

भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। जिला पदाधिकारी का पद किसी जाति, धर्म अथवा सम्प्रदाय से संबंधित नहीं होता है। अतएव, बिहार अधिनियम-17, 1949 की धारा 3 की उप-धारा (3) के परन्तुक के प्रावधान को विलोपित करना आवश्यक एवं समीचीन है। उक्त प्रावधान को विलोपित करना ही इसका मुख्य उद्देश्य है और इसे अधिनियमित कराना ही इस विधेयक का मुख्य अभीष्ट है।

(नीतीश कुमार)

भार साधक सदस्य।

पटना :
दिनांक 30 जुलाई, 2013

फूल झा,
प्रभारी सचिव,
बिहार विधान-सभा ।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 640-571+10-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>